

न्यायालय तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झनुं (राज0)

मुकदमा
84/2019

किस्म मुकदमा
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक
27.09.19

निर्णय दिनांक
26.11.2019

उनवान सरकार बनाम रामचन्द्र पुत्र देवकरण जाति माली निवासी सिंधाना जिला झुन्झनुं(राज0)
-: निर्णय :-

प्रकरण का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि सहायक अभियन्ता सा0नि0वि0 बुहाना की ओर से तहसीलदार बुहाना को एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गई कि स्टेट हाइवे 13 स्थान सिंधाना में स्टेट हाइवे 13 व एन0एच 11 मार्ग पर सा0नि0वि0 की सीमा में अतिक्रमण रामचन्द्र पुत्र देवकरण जाति माली निवासी सिंधाना ने 5-10 मी0 की दूरी पर टैले लगाकर (स्थाई रूप से) अतिक्रमण कर रखा है सहायक अभियन्ता ने भी यह अभिकथन किया है कि इन सभी टैलों वालों का मौखिक रूप से अतिक्रमण हटाने को कहने के बाद भी आज दिनांक तक अतिक्रमण नहीं हटाया गया है। अतः अतिक्रमी के विरुद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 की कार्यवाही अगल में लाई जावे।

तहसीलदार बुहाना द्वारा पत्र क्रमांक/राजख/1272 दिनांक 20.08.2019 को मुल प्रकरण नयम तहसीलदार सिंधाना को अतिक्रमीके विरुद्ध एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करने हेतु भिजवाया गया।

प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अतिक्रमी रामचन्द्र पुत्र देवकरण जाति माली निवासी सिंधाना को राजस्थान भू0 राजख अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्त पर अतिक्रमी अनुपस्थित रहा।

पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट सहायक अभियन्ता सा0नि0 वि0 बुहाना तथा जबाब प्रार्थना पत्र में वर्णित अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत विवादित अतिक्रमण की भूमि पर प्रभावहीन व सारहीन साबित होते है। अतः यह न्यायालय अतिक्रमी रामचन्द्र पुत्र देवकरण जाति माली निवासी सिंधाना ने एन. एच. 11 एवं सिंधाना सर्किल पर 5-10 मी0 की दूरी पर (स्थाई रूप से) टैले का अतिक्रमण किए जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली के आदेश दिए जाते है।

सहायक अभियन्ता सा0नि.वि0 बुहाना को आदेशित किया जाता है कि उक्त अतिक्रमण को भौतिक रूप से बेदखल की कार्यवाही करे। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर रह।

उप तहसीलदार सिंधाना